

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(213) ग्रावि/मुप-5/पीएमएवाई-जी/अभि./तक. अनु.समिति/2018-19 जयपुर, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019


—:: बैठक सूचना ::—

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (राज्य नोडल अधिकारी, पीएमएवाई-जी) की अध्यक्षता में विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 12.12.2019 को सांय 04.00 बजे समिति कक्ष, प्रथम तल, उत्तर पश्चिम भवन में आहुत की गई है। बैठक में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है:-

1. अतिरिक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
2. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गाँधी नरेगा।
3. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
4. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
5. संभाग स्तरीय जिलों के अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर।
6. विशेष आमंत्रित-शेष सभी जिला परिषदों के अधिशाषी अभियंता (अभि.)।

बैठक में चर्चा एजेंडा बिन्दु-

1. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण की सुनिश्चितता बाबत हेतु IWMS साफ्टवेयर पर कार्यवार जारी उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र के डिस्पेच नम्बर व दिनांक दर्ज किये जाने बाबत।
2. जिला/पंचायत समिति पर स्थापित प्रयोगशाला की क्रियाशीलता, प्रयोगशाला में प्राप्त सैंपलों का विवरण, प्रयोगशाला से किये गए परीक्षण/जाँच रिपोर्ट आदि की प्रगति समीक्षा के संबंध में।
3. गत तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 24.9.2019 के निर्णय बिन्दु संख्या- 1 के क्रम में उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र के संशोधित प्रारूप पर चर्चा (ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के परिशिष्ट-17 को संशोधित करना एवं परिशिष्ट-18, 19 व 20 को विलोपित करना)। कृपया बैठक में निर्धारित समय एवं तिथि पर उपस्थित होने का श्रम करे।


(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
6. जिला कलेक्टर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (राज्य नोडल अधिकारी, पीएमएवाई-जी) ग्रामीण विकास।
8. अतिरिक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को भाग लेने के लिए निर्देशित करावें।
10. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गाँधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग।
12. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
13. अधिशाषी अभियंता (अभि.) जिला परिषद, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर।
14. प्रोग्रामर, ग्रावि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।